



दिनांक- 24.09.2026

-प्रेस नोट-  
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की **Smack kingpin** के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही □

थाना नकुड व एन्टी नार्कोटिक्स सेल/सर्विलांस/स्वॉट/एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा Smack KingPin का नेटवर्क ध्वस्त करते हुए 03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 380 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 04 करोड़ 76 लाख रुपये), 10 लाख 30 रुपये नकद, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 04 मोबाइल फोन व 01 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड, प्रभारी एन्टी नार्कोटिक्स सेल सहारनपुर/प्रभारी एसओजी/प्रभारी स्वाट टीम/प्रभारी सर्विलांस के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड व एन्टी नार्कोटिक्स सेल/एसओजी/स्वॉट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान Smack Kingpin के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. सन्नी पुत्र स्व0 वीर सिंह निवासी ग्राम पखनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर हाल पता व्यास कालोनी वीर सावरकर स्थल कैम्प बरेली जिला बरेली, 2. अर्शलान उर्फ गुड्डू पुत्र जमील निवासी कादरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली व 3. हर्षित पुत्र अरविन्द कुमार निवासी नरेना थाना पुवांया जिला शाहजहांपुर हाल पता दुर्गा नगर कालोनी थाना बारादरी जिला बरेली को कस्बा नकुड से अम्बेहटापीर के बिजली घर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 किलो 380 ग्राम अवैध स्मैक (1. अभियुक्त सन्नी से 950 ग्राम स्मैक, 2 मोबाइल फोन, 3 लाख 50 हजार 30 रुपये, 2. अभियुक्त अर्शलान उर्फ गुड्डू से 900 ग्राम स्मैक व 3 लाख 50 हजार रुपये नकद व 01 मोबाइल फोन व 3. अभियुक्त हर्षित मिश्रा से 530 ग्राम स्मैक व 3 लाख रुपये नकद व 01 मोबाइल फोन), 10 लाख 30 रुपये नकद व 01 अपाचे मोटरसाइकिल UP 25 EL 5961, 04 मोबाइल फोन व 01 इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड पर मु0अ0सं0 501/26 धारा 8/21(1)(c)/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND

BACKWARD लिंको की जांच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी जनपद बरेली से कराई जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** पूछताछ के दौरान अभियुक्त सन्नी पुत्र स्व० वीर सिंह ने बताया कि वह मूलरूप से ग्राम पखनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर का निवासी है तथा अमित उर्फ अनित निवासी ग्राम बुढेड़ा थाना सरसावा के साथ मिलकर स्मैक तस्करी का काम काफी समय से कर रहा है, वर्ष 2021 में अमित उर्फ अनित उपरोक्त के लिए स्मैक लाते हुए भी पकड़ा गया तथा जेल से छूटने के बाद बरेली में ही स्थायी रूप से रहकर इस काम को करने लगा। मेरे साथ पकड़े गये अर्शलान व हर्षित के साथ मिलकर लगातार बड़े स्तर पर स्मैक तस्करी का काम कर रहा हूँ। मैं, अर्शलान उर्फ गुड्डू पुत्र जमील एवं हर्षित पुत्र अरविन्द कुमार हम तीनों मिलकर जनपद बरेली के जिलानी उर्फ बबलू पुत्र रहीश निवासी ग्राम कादरगंज, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली जो कि अर्शलान का सगा मामा है, से स्मैक खरीद कर सप्लाई करते हैं, अमित उर्फ अनित उपरोक्त के जेल जाने के बाद (मु०अ०सं० 335/2026 धारा 8/21/60(3) एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट) स्मैक का कारोबार उसका भतीजा आर्यन देख रहा है। जिसे हम स्मैक दे रहे हैं और जो पैसा हम लोगो से बरामद हुआ है वो आर्यन को स्मैक बेचकर प्राप्त हुआ था जिसे हम लोगो ने आपस में हिस्सेदारी के अनुसार बांट लिया था। शेष स्मैक को हम लोग अन्य ग्राहकों को बेचने के उद्देश्य से ले जा रहे थे।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सन्नी पुत्र स्व० वीर सिंह निवासी ग्राम पखनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर हाल पता व्यास कालोनी वीर सावरकर स्थल कैम्प बरेली जिला बरेली
2. हर्षित पुत्र अरविन्द कुमार निवासी नरेना थाना पुवांया जिला शाहजहांपुर हाल पता दुर्गा नगर कालोनी थाना बारादरी जिला बरेली
3. अर्शलान उर्फ गुड्डू पुत्र जमील निवासी कादरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली

#### बरामदगी का विवरण -

- 02 किलो 380 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 04 करोड़ 76 लाख रुपये)
- 10 लाख 30 रुपये नकद,
- 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा,
- 04 अदद मोबाइल फोन
- 01 अपाचे मोटरसाइकिल

#### अभियुक्त सन्नी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 49/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 13/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार प्रभारी एण्टी नारकोटिक्स सेल सहारनपुर

3. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सक्सेना प्रभारी एसओजी टीम सहारनपुर
4. उ०नि० श्री अजब सिंह एन्टी नार्कोटिक्स टीम सहारनपुर,
5. उ०नि० श्री नीरज पंवार प्रभारी स्वाट टीम सहारनपुर
6. उ०नि० श्री सौरभ राठौर थाना नकुड जनपद सहारनपुर
7. उ०नि० श्री रणवीर सिंह थाना नकुड सहारनपुर
8. है०कां० सोनू कौशिक सर्विलांस टीम सहारनपुर,
9. है०का० 648 आकाश नेहरा सर्विलांस टीम सहारनपुर,
10. है०का० नितिन त्यागी सर्विलांस टीम सहारनपुर,
11. है०का० 294 उदित मलिक एन्टी नार्कोटिक्स टीम सहारनपुर,
12. है०कां० हरेन्द्र पुनिया स्वाट टीम सहारनपुर
13. है०कां० वसीम स्वाट टीम सहारनपुर
14. है०कां० जुगेन्द्र कसाना स्वाट टीम सहारनपुर
15. है०कां० अमित चकारा स्वाट टीम सहारनपुर
16. है०कां० सन्दीप तोमर स्वाट टीम सहारनपुर
17. है०का० 892 अजय राठी थाना नकुड सहारनपुर
18. कां० अमित पंवार स्वाट टीम सहारनपुर
19. कां० विक्रान्त कुमार स्वाट टीम सहारनपुर
20. चालक कां० विनीत राणा स्वाट टीम सहारनपुर ।
21. का० 192 ललित कुमार सर्विलांस टीम सहारनपुर,
22. का० 946 आजाद पाल थाना नकुड सहारनपुर,
23. का० 1997 विनीत चौधरी थाना नकुड सहारनपुर,
24. रि०आ० 1644 भुवनेश थाना नकुड सहारनपुर



दिनांक: 24-09-2026

-प्रेस नोट-

## **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना जनकपुरी व सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जिला अस्पताल से चोरी हुए नवजात शिशु को मात्र 56 घंटे में बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

### **घटना का विवरण:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 21.09.2026 को वादी श्री नाजिम पुत्र पीरु मजीद निवासी ग्राम शेखपुरा कदीम थाना को0देहात जिला सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात महिला द्वारा वादी के नवजात पुत्र को इन्जेक्शन लगाने को कहकर ले लेना तथा वादी को बच्चे की फाईल लेने के लिए भेज देना एवं बच्चे को चोरी करके जिला अस्पताल सहारनपुर से ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 236/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

### **पुलिस कार्यवाही:-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जिला अस्पताल से नवजात शिशु चोरी होने की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस व स्वाट टीम की अलग-अलग टीमे गठित की गयी तथा नवजात बच्चे की शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया।

उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशन एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक अज्ञात महिला नवजात शिशु को जिला महिला अस्पताल सहारनपुर से चोरी करके छिपाकर ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस महिला का अस्पताल से ई-रिक्शा में बैठकर घण्टाघर से छुटमलपुर से बस में बैठकर भगवानपुर से मोटर साईकिल पर इमलीखेडा से टैम्पू से धनौरी से बस में बैठकर जाना दिखाई दिया। इसी आधार पर एक टीम बाहदराबाद भेजी गयी और फुटेज के आधार पर तसदीक करते हुए एक महिला सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को लेकर जाती हुयी दिखायी दी। फुटेजो को देखते हुए तथा पुलिस की सतर्कता व त्वरित कार्यवाही करते हुए उस महिला को देहरादून हाईवे के नीचे बडकला मोड पर से दिनांक 23.09.2026 की शाम को गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से नवजात शिशु को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान आशु पुत्री बालकिशन निवासी कस्बा तीतरो बडे टावर के पास, थाना तीतरो जनपद सहारनपुर हाल निवासी आशु पत्नी अंकुर बहादराबाद (बडा टावर) थाना बहादराबाद जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के रूप में हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 142 बीएनएस की वृद्धि की गई। बरामद नवजात शिशु को उसकी माता व परिजनो को सुपुर्द किया गया। थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी अंकुर के साथ शादी हुयी थी। परन्तु शादी के 04 साल होने के पश्चात भी मुझे अंकुर से कोई संतान नही हुयी थी, जिसे लेकर मैं परेशान थी तथा बच्चा चाहती थी। जिसको लेकर मैं एक निजी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से मिली थी। डॉक्टर व उनके स्टाफ ने मेरी मदद करने की बात कही थी। इसिलिए मैं दिनांक 21.09.2026 को योजना के तहत महिला जिला अस्पताल

सहारनपुर से एक नवजात बच्चे को उठाकर लेकर गयी थी तथा उसके पश्चात बच्चे को बहादुराबाद में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर को उपचार हेतु सुपुर्द किया था, जिन्होंने इसका इलाज किया, महिला डॉक्टर से पहले से ही मेरी बात हो रखी थी तथा कहा था कि तुम बच्चा लेकर आ जाना मैं तुम्हारी डिलीवरी की नकली रिपोर्ट तैयार कर दूंगी। उक्त डॉक्टर ने मुझे व बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर लिया था। भर्ती रहने के पश्चात जब मैं बच्चे सहित जब वापस आ रही थी तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. प्रभारी निरी० श्री प्रदीप कुमार चीमा, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. प्रभारी निरी० श्री राजीव कुमार सक्सेना, प्रभारी **एसओजी** सहारनपुर।
3. प्रभारी स्वाट श्री नीरज पंवार, प्रभारी **स्वाट टीम** सहारनपुर।
4. उप निरी० श्री शिवराज तोमर, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
5. म०उ०नि० मोनिका यादव थाना जनकपुरी सहारनपुर।
6. है०कां० सोनू **सर्विलांस सैल**, सहारनपुर।
7. है०का० हरेन्द्र कुमार, **स्वाट टीम**, सहारनपुर।
8. है०का० अमित पंवार, **स्वाट टीम**, सहारनपुर।
9. है०कां० वसीम **स्वाट टीम** सहारनपुर।
10. है०का० अमित चिकारा, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
11. है०कां० संदीप कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
12. है०कां० जोंगिदर सिंह थाना जनकपुरी सहारनपुर।
13. कां० विक्रान्त तेवतिया **स्वाट टीम** सहारनपुर।
14. कां० 2343 संदीप कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
15. म०का० 73 शिवानी, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
16. रि०कां० 1049 मनोज कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 24.09..2026

## थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 NBW वारण्टी अभियुक्त आमिर उर्फ कन्नू पुत्र अय्यूब निवासी संगम बिहार कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 519/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट ( स्पे० जज एनडीपीएस एक्ट एडिशनल सेशन जज चेम्बर न०-10 सहारनपुर) को संगम बिहार कालोनी खाताखेड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आमिर उर्फ कन्नू पुत्र अय्यूब निवासी संगम बिहार कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स०148/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री गजेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है०का० 908 जितेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. रि०का० 1233 राहुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 24-09-2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को**  
**किया गया गिरफ्तार**

**घटना का विवरण:-**

दिनांक 30.03.2026 को वादी नूर हसन पुत्र गफूर नि० ग्राम नन्हेडा बुड्ढाखेडा थाना नांगल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण के द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के परिजनो के साथ लाठी-डण्डो व पलकटी से मारपीट कर गाली-गलौज करने, धारदार हथियारो से जान से मारने की नियत से मारपीट करने के सम्बन्ध मे थाना नांगल पर मु०अ०सं० 106/26 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/117(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

**पुलिस कार्यवाही:-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 23.09.26 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे फरार चल रहे वांछित अभियुक्त जुल्फकार पुत्र असगर निवासी नन्हेडा बुड्ढाखेडा थाना नांगल जनपद सहारनपुर को नन्हेडा बुड्ढाखेडा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

जुल्फकार पुत्र असगर निवासी नन्हेडा बुड्ढाखेडा थाना नांगल सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना नांगल सहारनपुर
2. उ०नि० ओमव्रत मलिक थाना नांगल सहारनपुर
3. है०का० 499 अमित राठी थाना नांगल सहारनपुर
4. रि०का० 1568 रिकू सिंह थाना नांगल सहारनपुर



दिनांक: 24-09-2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

**घटना का विवरण:-** दिनांक 09.08.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया की नाबालिग पोती उम्र करीब 14 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 240/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही व बयान अपहर्ता/पीडिता तथा मैडिकल परीक्षण से अभियुक्त अंकुश पुत्र सोमपाल नि0 ग्राम ग्राम पठोड़ी बक्काल थाना नांगल जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया था तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)n बीएनएस व 5L/6 पोस्को एक्ट की वृद्धि की गई थी।

**पुलिस कार्यवाही:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये **वांछित अभियुक्त अंकुश पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम ग्राम पठोड़ी बक्काल थाना नांगल जनपद सहारनपुर** को ग्राम पठोड़ी बक्काल से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अंकुश पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम ग्राम पठोड़ी बक्काल थाना नांगल जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना नांगल सहारनपुर
2. म0उ0नि0 वर्षा कुशवाह थाना नांगल सहारनपुर
3. रि0का0 1546 विशेष कुमार थाना नांगल सहारनपुर
4. रि0का0 1540 रिकू सिंह थाना नांगल सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24-09-2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त भूरा उर्फ सारिक पुत्र जाहिद निवासी ग्राम मथाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 708/26 धारा 144(3) बीएनएसएस (मा0 न्यायालय श्रीमान अपर प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय सहारनपुर) तारीख पेशी 29.09.2026 में ग्राम मथाना से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

भूरा उर्फ सारिक पुत्र जाहिद निवासी ग्राम मथाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 1110 प्रेम सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24-09-2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार के 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 09 अदद वाशिंग मशीन के मोटर, 08 इंडोर कूलिंग कोइल, 04 बिजली केबिल के टुकड़े व 01 तोल कांटा बरामद**

#### **घटनाओं का विवरण:-**

1. दिनांक 23.09.2026 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र ईसम सिंह निवासी हलवाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात द्वारा वादी व यशपाल पुत्र कृष्णपाल सिंह, संजय पुत्र कर्म सिंह निवासीगण हलवाना की ट्यूबवैलो का ताला तोड़ कर केबिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 410/26 धारा 331(4)/305ए बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

2. दिनांक 23.09.2026 को वादी श्री साजिद अली पुत्र शाकिर अली नि0 ग्राम गणेशपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात द्वारा वादी के फेक्ट्री में रखे कुछ वाशिंग मशीन के मोटर, फ्रिज के कम्प्रेसर व एसी की कापर, जाली कापर पाईप एवं लाईटिंग का एलुमिनियम आदि सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 411/26 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

#### **पुलिस कार्यवाही:-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर चोरी की घटनाओं का शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान उपरोक्त में मुकदमों में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए **06 शातिर अभियुक्तगण 1. सन्नी पुत्र प्रमोद नि0 ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 2. सौरभ पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 3. आशु पुत्र कृपाल निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 4. शिवम उर्फ बिल्ला पुत्र मेघराम नि0 अल्लीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 5. टिकू पुत्र राजू नि0 हाजीपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 6. कैफ पुत्र शहजाद निवासी न्यू बस्ती भारत धर्म कांटा के पास कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर कलसिया रोड से जीवाला जाने वाले रास्ते पर आम के बाग में बनी ट्यूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 09 अदद मोटर वाशिंग मशीन, 08 अदद इंडोर कूलिंग कोइल (सम्बन्धित मु0अ0सं0 411/26 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस), 04 टुकड़े केबिल बिजली व 01 तोल कांटा (सम्बन्धित मु0अ0सं0 410/26 धारा 331(4)/305ए बीएनएस) बरामद। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2)/331(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि दो दिन पहले हम लोगो व हमारे साथ सतनाम निवासी अल्लीवाला ने मिलकर मुसेल जाने वाले रास्ते पर बनी स्केप फेक्ट्री से सुबह के समय चोरी की थी। व जो केबिल प्लास्टिक के कट्टे में है हम सभी ने मिलकर तीन दिन पहले फेक्ट्री में चोरी व ग्राम हलवाना के जंगल से ट्यूबबेलों का ताला तोड़कर केबिल चोरी की थी। आज हम सभी ने चोरी के सामान को बेचने के लिये कैफ कबाड़ी को बुलाया था।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

1. सन्नी पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. सौरभ पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. आशु पुत्र कृपाल निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

4. शिवम उर्फ बिल्ला पुत्र मेघराम निवासी ग्राम अल्लीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. टिंकू पुत्र राजू निवासी हाजीपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. कैफ पुत्र शहजाद निवासी न्यू बस्ती भारत धर्म कांटा के पास कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण**

- 09 अदद मोटर वाशिंग मशीन
- 08 अदद इंडोर कूलिंग कोइल
- 04 टुकटे केबिल बिजली
- एक तोलने का कांटा

#### **अभियुक्त सन्नी का अपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 218/22 धारा 379/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर

#### **अभियुक्त सौरभ का अपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 218/22 धारा 379/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 366 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. है0का0 231 रोहित थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
7. है0का0 581 लक्ष्मीप्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
8. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
9. रि0का0 793 अंकित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
10. रि0का0 815 विपिन कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
11. रि0का0 794 सन्नी देवल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक- 24.09.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहरण के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 18.07.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 17.07.26 को समय सुबह 06.30 बजे वादी की लडकी सना उम्र करीब 15 वर्ष का डाट से सुब्ध होकर बिना बताये घर से कही चले जाने के व आज तक घर नहीं आने व काफी तलाश करने कर न मिलने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 297/26 धारा137(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त शोएब पुत्र गुलजार निवासी ग्राम अमानतगढ थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर हाल पता ग्राम जसमौर थाना बेहट सहारनपुर को ग्राम धोलाकुँआ बिराहीगढ रोड से गिरफ्तार किया गया । अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में धारा 65 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

शोएब पुत्र गुलजार निवासी ग्राम अमानतगढ थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर हाल पता ग्राम जसमौर थाना बेहट सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 कंचन थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 अरविन्द तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. म0का0 1990 कविता थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. रि0का0 420 सुर्यकान्त दिवाकर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. रि0का0 422 कुलदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक:-24.09.2026

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

### थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

#### **घटना का विवरण:-**

दिनांक 19.03.2026 को वादिया श्रीमती मनीषा पत्नि बन्टीतेश्वर निवासी मौ0 मूंगागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सागर पुत्र मेसोराम 2. छोटा पुत्र मेसोराम निवासीगण दुर्गापुरी कलोनी थाना मण्डी सहारनपुर व तीन कारो सवार व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर वादिया के घर में घुसकर लाठी डण्डे व धारदार हथियार लेकर गाली गलौच कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना व तोड़ फोड़ करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 105/2026 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/333/ 324(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. सागर, 2. सौरभ कागड़ा, 3. सावन उर्फ छोटा व 4. अर्जुन को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

#### **पुलिस कार्यवाही:-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 वांछित अभियुक्तगण 1. दीपक कुमार पुत्र मोतीलाल उर्फ मणि निवासी चौधरी कालोनी साई मन्दिर के बराबर में थाना सिटी जिला यमुनानगर हरियाणा व 2. गुरदीप सिंह उर्फ दीपु पुत्र मोहन सिंह निवासी निवासी भाटिया नगर हाउस न0 196 थाना सिटी यमुनानगर जिला यमुनानगर हरियाणा को बेहट अड्डे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. दीपक कुमार पुत्र मोतीलाल उर्फ मणि निवासी चौधरी कालोनी साई मन्दिर के बराबर में थाना सिटी जिला यमुनानगर हरियाणा
2. गुरदीप सिंह उर्फ दीपु पुत्र मोहन सिंह निवासी निवासी भाटिया नगर हाउस न0 196 थाना सिटी यमुनानगर जिला यमुनानगर हरियाणा

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रतापदत्त शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2278 विष्णु कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. रि0का0 1178 रोबिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 24-09-2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 अभियुक्त को किया**  
**गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 24.09.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस चेकिंग व गश्त के दौरान ज्योति किरण पहुँचे तो शान्ति व्यवस्था भंग करने के प्रयास करने वाला 01 अभियुक्त **संदीप कुमार पुत्र सैमपाल नि0 चौली अड्डा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार** को थाना क्षेत्र फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत प्रभावी कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

संदीप कुमार पुत्र सैमपाल निवासी चौली अड्डा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 सैमपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 851 विपिन पाठक थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।



दिनांक 24.09.2026

-प्रेस नोट-

## **थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान एक वारण्टी अभियुक्त अनीस गूंगा पुत्र भोला उर्फ सगीर निवासी मौहल्ला इस्लामाबाद मदनपुरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर (सम्बन्धित वाद सं० 359/18 मु०अ०सं० 274/04 धारा 376/302 भादवि (मा०न्या० प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय परिषद, सहारनपुर) को मौहल्ला इस्लामाबाद मदनपुरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

अनीस गूंगा पुत्र भोला उर्फ सगीर निवासी मौहल्ला इस्लामाबाद मदनपुरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ०नि० श्री गजेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. का० 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक – 24.09.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना गागलहेडी साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा ऑनलाइन साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गई 31,543/- रुपये की धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराई गई**

### **घटना का विवरण:-**

1. दिनांक 23.06.2026 को वादी श्री अजय सैनी निवासी ग्राम सम्भलहेड़ी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
2. दिनांक 18/09/2025 को वादी श्री सचिन नि0ग्रा0- सुन्हैटी खड़खड़ी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
3. दिनांक 20/01/2025 को वादी श्री विक्रान्त नि0ग्रा0 उग्राहू थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
4. दिनांक 17/04/2025 को वादी श्री सय्यद मंसूर हुसैन नि0ग्रा0 महमूदपुर तिवई हरोड़ा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
5. दिनांक 01/01/2026 को वादी संदीप पुत्र विशम्भर निवासी ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
6. दिनांक 30/03/2025 को वादी श्रीमति आसमा पत्नी गुलबहार निवासी माण्डेबांस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर के साथ 4399/- रुपये की ऑनलाइन शिकायत बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी करके धनराशि ट्रांसफर करा लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी।

### **पुलिस कार्यवाही:-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेडी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित उपरोक्त के खाते से फ्राड की गई धनराशि क्रमश:- (1.)14499.99/-, (2.)696.72/-, (3.)8500.00 (4.)1941.06/-, (5.)1506.43/-, (6.)4399.00/- = कुल 31,543.20/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई । पीडित द्वारा धनराशि वापस पाकर थाना गागलहेडी साइबर हेल्पडेस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है ।

### **धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी प्रभारी साइबर सैल थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
3. का0 407 उत्तम कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
4. रि0का0 876 भूपेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
5. रि0का0 868 प्रियांशु गौतम थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
6. म0रि0का 903 बेबी रानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक 24-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-10 जनपद सहारनपुर द्वारा **हत्या के मुकदमें में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.03.2018 को वादी श्री मुकर्रम पुत्र मौहम्मद अली निवासी ग्राम समूली थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-नदीम पुत्र इकबाल, 2- इकबाल पुत्र मंगला व 3- शौकीन पुत्र इकबाल निवासीगण रुहालकी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के लडके अलीशेर की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-83/2018 धारा 452,302/34 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-329/2018 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-10 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-10 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 24.09.2026 को अभियुक्तगण 1- नदीम पुत्र इकबाल ग्राम रुहालकी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) व 2- इकबाल पुत्र मंगला निवासी ग्राम रुहालकी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को मु0अ0सं0-83/2018 धारा 452,302/34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट:- अभियुक्त शौकीन पुत्र इकबाल की मृत्यु होने के कारण उपशमित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री संजय कुमार।

विवेचक- निरीक्षक श्री सत्यपाल सिंह।

पैरोकार- आरक्षी कौशल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक – 24.09.2026

## “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20.15 ग्राम अवैध स्मैक व 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक संदीप बालियान देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2026 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग व गश्त के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त 1. शाकिब पुत्र जाकिर निवासी मौ0 मुल्तानियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. नदीम पुत्र मुर्सलीम निवासी सराय पीरजादगान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को गुनारसा रोड पर नवनिर्मित आस्था नगर कालोनी में बन्द पड़े मकान से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 20.15 ग्राम अवैध स्मैक व 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 691/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. शाकिब पुत्र जाकिर निवासी मौ0 मुल्तानियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. नदीम पुत्र मुर्सलीम निवासी सराय पीरजादगान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

### बरामदगी का विवरण –

- 20.15 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री रौबिल्स कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

3. का0 1646 दीपक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
4. रि0का0 681 अभिषेक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 24.09.2026

## **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

### **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैंकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री राजीव कुमार कौशिक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैंकिंग व गश्त के दौरान **04 अभियुक्तगण प्रथम पक्ष 1. प्रदीप सैनी पुत्र जय प्रकाश सैनी निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर व द्वितीय पक्ष 2. शुभम शर्मा पुत्र पवन शर्मा निवासी ब्रह्मपुरी कालोनी पेपर मिल थाना सदर बाजार सहारनपुर के मध्य गाली गलौज व लडाई झगडा कर आमदा फसाद हो रहे थे तथा अभियुक्तगण प्रथम पक्ष 3.मौहम्मद रामिज पुत्र शाबिर निवासी मौहल्ला सडकपार बेहट थाना बेहट सहारनपुर व द्वितीय पक्ष 4.मौ0 जकी पुत्र महताब आलम निवासी मौहल्ला सडकपार बेहट थाना बेहट सहारनपुर के मध्य बेवजह गाली गलौच आमदा फसादा हो रहे थे, जिस कारण उपरोक्त अभियुक्तगणों को थाना क्षेत्र से कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. प्रदीप सैनी पुत्र जय प्रकाश सैनी निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. शुभम शर्मा पुत्र पवन शर्मा निवासी ब्रह्मपुरी कालोनी पेपर मिल थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मौहम्मद रामिज पुत्र शाबिर निवासी मौहल्ला सडकपार बेहट थाना बेहट सहारनपुर।
4. मौ0 जकी पुत्र महताब आलम निवासी मौहल्ला सडकपार बेहट थाना बेहट सहारनपुर।

#### **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 राकेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
4. रि0क0 1287 जगजीत थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।